

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 19 जून, 2015

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की कतिपय संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण करने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

1- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला-

- 1.1 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 40:10:50 के अनुपात में किया जायेगा।
- 1.2 उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बटवारा क्षेत्र पंचायतों के मध्य 80:20 के सिद्धान्त से किया जायेगा। इस सिद्धान्त में 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या को भार देते हुए किया जायेगा।
- 1.3 जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 80:20 के सिद्धान्त को अपनाते हुए अर्थात् 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।
- 1.4 जिला पंचायत द्वारा सड़कों तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि व्यय किये जाने तथा अपने सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान करने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संक्रमण की जाने वाली धनराशि की द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

2- संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्त-

- 2.1 ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों के सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की

धनराशि से पंचायतों अपनी परिसम्पत्तियों यथा- पंचायत भवनों, स्वी भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होगी। शेष धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे। नये निर्माण कार्यों में सी0सी0 रोड/खड्डण्जा/नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरीक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की कार्ययोजना सहायक विकास अधिकारी(पं०) को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। बिना कार्य योजना के ग्राम पंचायत कोई कार्य नहीं करायेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष कराये जाने वाले कार्ययोजना का विवरण सहायक विकास अधिकारी (पं०) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं०) की होगी।

2.2 पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की जायेगी। यह मात्राकृत धनराशि व्यपगत (लैप्स) या व्यावर्तित (डाइवर्ट) नहीं होगी।

2.3 ग्राम पंचायतों के लिए संक्रमित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष किये गये प्रत्येक कार्य का प्रगति विवरण आनलाइन एम0आई0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त कार्य की सम्पत्ति जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी(पं०) की होगी। इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित ग्रामीण निकायों द्वारा ही वहन किया जायेगा। धनराशि का मात्राकरण तथा मदों का निर्धारण निर्देशक, पंचायतीराज, उ०प्र० द्वारा शासन की अनुमति से किया जायेगा।

2.4 पंचायतों को संक्रमित धनराशि के दुरुपयोग होने पर संबंधित निकाय के अध्यक्ष/प्रधान, प्रमुख आदि के विरुद्ध कार्यवाही राज्य के अधिनियमों एवं नियमावतियों (ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं ब्लॉक प्रमुख के संबंध में उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार तथा सम्बन्धित निकाय के सचिव, जो कि शासकीय कर्मी हैं, के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.5 क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुचिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सुजिला सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् उसका अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराये गये प्रत्येक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग कराये

जायेगी तथा एक कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त का पूर्ण दायित्व सचिव, क्षेत्र पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रथमतः सहायक विकास अधिकारी(प0) कार्यालय तथा ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा के दृष्टिगत एक अभिलेखागार का निर्माण क्षेत्र पंचायत कार्यालय परिसर में कराया जायेगा, उसके उपरान्त ही क्षेत्र पंचायत अन्य निर्माण कार्य करा सकेंगी।

2.6. आडिट अनुशासन के लिए संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से 10 प्रतिशत रोकना-

वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु सभी पंचायतों के मध्य वितरित होने वाली धनराशि का 10 प्रतिशत भाग रोकते हुए शेष उपर्युक्त मानक के आधार पर निकायों के मध्य वितरित की जायेगी। उक्त रोकती गयी 10 प्रतिशत धनराशि को भी उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर वितरित किया जायेगा लेकिन उसके लिए वही ग्रामीण निकाय पात्र होगी जिसके द्वारा एक वर्ष पूर्व तक के अपने लेखों का आडिट करा लिया गया है। जैसे ही कोई निकाय निर्धारित आडिट एजेन्सी को आडिट प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देती है उसे उसकी रोकती गयी 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। एक मार्च तक आडिट प्रमाण पत्र शासन को न प्राप्त होने पर रोकती हुई धनराशि अन्य पात्र निकायों के मध्य उनके निर्धारित अंशों के अनुपात में बाँट दी जायेगी। डिफाल्टर निकायों का 10 प्रतिशत अंश उनके लिए लैप्स हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2015-16 के लिए निकायों के मध्य वितरण करते समय वर्ष 2013-14 तक के लेखों का आडिट कराया जाना पात्रता की शर्त होगी, जिसके लिए दिनांक 01 मार्च 2016 तक आडिट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

i. जिला पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से जिला पंचायत के कर्मियों के वेतन एवं पेंशन अंश को छोड़कर, 25 प्रतिशत भाग अनुरक्षण पर व्यय किया जायेगा।

ii. 5 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव एवं सृजन पर व्यय की जायेगी।

iii. जिला पंचायतों द्वारा अपने लेखों का प्रत्येक वर्ष आडिट कराया जायेगा तथा आडिट प्रस्तर का अनुपालन 3 वर्षों में सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत अपनी समस्त लेखों को प्रिया साफ्ट वर अपलोड करेगी। इस हेतु प्रत्येक जिला पंचायत के प्रतिवर्ष संक्रमित होने वाली धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि शासन स्तर पर रोकती जायेगी व जिन जिला पंचायतों द्वारा समयान्तर्गत उक्त शर्तों के क्रम में आडिट सुनिश्चित नहीं कराया जायेगा या प्रिया साफ्ट में सम्पूर्ण पोरिंग नहीं की जायेगी, उनको इस प्रकार रोकते गये 10 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया जायेगा। दोषी जिला पंचायतों की उक्तानुसार रोकती गयी 10 प्रतिशत धनराशि उस जिला पंचायतों में वितरित की जायेगी जो उक्त शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

3- त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्मान एवं सुविधायें-

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 1413/33-2-2006= 34 जी. 01 टी0 सी-111 दिनांक 20 मार्च, 2006 एवं शासनादेश सं0:6368/38

2-2006-34जी / 2001 टी0सी-11 दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 तथा शासन सं0:02 / 33-2- 2014-34जी / 01टी0सी-11 दिनांक 07 जनवरी, 2014 प्रभा रहेगा। पंचायतों के पदाधिकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमशः अपनी गांव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, में से वहन कर सकेंगी तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

4- उक्त विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। कृपया राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशियों के उक्तभाग के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या:-एफ0सी0 यू0ओ0-28 / दस-2015 दिनांक 19 जूल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

पत्रांक: 1639 / 33-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
- 4- आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 6- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 12- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
- 13- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
- 14- समस्त जिला कौषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त सहायक विकास अधिकारी (प0), उत्तर प्रदेश।
- 16- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18- वित्त (संसाधन) आयोग अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 19- पंचायतीराज अनुभाग- 1/2

आज्ञा से

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक:

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ०प्र०।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 31 जून, 2015

विषय: पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अबमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक-19.06.2015 मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-866/33-2-14-93जी/ 2014 टी०सी०, दिनांक 24 जून, 2014 एवं शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93जी/2004, दिनांक-12.01.2005 निर्गत किये गये थे।

2- उल्लेखनीय है कि "प्रदेश की जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजदूर को जोड़ने के लिए किये जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान प्रसंगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं, जिससे डूप्लीकेसी की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सब्सिडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय।"

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से पंचायतों द्वारा विकास कार्य सम्पादित किये जाय, जो पंचायतीराज अधिनियम-1947 व क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 के प्राविधानों के अनुरूप हों। अतः त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

1. ग्राम पंचायत को जो धनराशि/अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जाय।
2. क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाय।
3. जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेंगी।
4. ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उद्यत प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों यथा-पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होंगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा बिना सक्षम अनुमोदन के कोई कार्य नहीं कराया जायेगा। नये निर्माण कार्यों में सी0सी0 रोड/खड़प्पा/नाली/धुलिया निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी। आवंटित धनराशि की कार्ययोजना का अनुमोदन निम्नानुसार कराया जायेगा:-
 - (क) रू० 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा।
 - (ख) रू० 50,001 से रू० 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी(प०) द्वारा किया जायेगा।
 - (ग) रू० 250001 से रू० 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
 - (घ) रू० 500001 से ऊपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा परन्तु प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(प०) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(प०) की होगी।
5. विन्दु-4 के उप विन्दु ग एवं घ से सम्बन्धित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।
6. क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशुचिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात् कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन का अनुमोदन एवं

कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

7. जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में रु० 10.00 लाख की लामत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप में अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेंगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय तथा निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पंचायती राज (लैखा), इन्दिरा भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
7. समस्त सहायक विकास अधिकारी(प०), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस०पी० सिंह)
उप सचिव।